



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: सम्बद्धन/ १९९/२०१६
दिनांक: २०१६-२-२०१६

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़।

विषय:- पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०ए०(अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तु के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़ को कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०ए०(अंग्रेजी/शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पीछित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

प्राचार्य(पी०जी०) स्तर/शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है, अग्रिम अप्राप्ति पत्र कालातीत हो चुका है।

यह सम्बद्धता (सत्र 2015-16 से) दिनांक 01.07.2015 से दो वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

- (1) महाविद्यालय द्वारा उपर्युक्त राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधिक अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से छः माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (2) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित कियों तथा शिक्षक/प्राचार्य द्वारा अन्य समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया छः माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की खिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (3) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में अंगैत प्रावधानों/उपवन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (4) संस्थान/महाविद्यालय संस्थान सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (5) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (6) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धत्रय द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पराया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सुचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरवायित कालेज प्रबन्धत्रय का होगा।
- (7) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (8) संस्था परिसंचय को रैमिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
- (9) महाविद्यालय आल इंडिया सर्वे ऑफ हॉयर एज्यूकेशन(ए०आई०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी०सी०एफ० - ॥ पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

मवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, पं० लक्ष्मी नारायण मैमोरियल महाविद्यालय, घरबरा, टप्पल, अलीगढ़।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव